

यह मूल आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा जाय तथा प्रत्येक कंडिका में मांगी गई सूचना पूरी-पूरी दी जाय, अन्यथा इस पर विचार नहीं होगा ।

- | मोहल्ला
कोलानी | सड़क नं० | मकान नं० | सर्किल
नं० | नजदीक में कोई
महत्वपूर्ण मकान
या संस्था का
नाम | आवेदक के
मकान की
कार्यालय से दूरी
(कि०मी०) |
|-------------------|----------|----------|---------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

10. यदि संयुक्त परिवार के नाम में आवेदक को कोई मकान हो, तो उसकी अवस्थिति दें :-

मोहल्ला कॉलानी	सड़क नं०	मकान नं०	सर्किल नं०	नजदीक में कोई महत्वपूर्ण मकान या संस्था का नाम	आवेदक के मकान की कार्यालय से दूरी (कि०मी०)	आवेदक के हिस्सा का छत से ढका भवन का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	

11. यदि आवेदक ने राँची में मकान बनाने हेतु सरकार से ऋण लिया है, तो उसका व्यौरा:-

तिथि
1

राशि
2

12. यदि राँची में आवेदक के पति/पत्नी/पुत्र या अन्य आश्रित के नाम से कोई मकान निर्माणाधीन हो तो उसका व्यौरा :-

मोहल्ला कॉलानी	सड़क नं०	मकान नं०	सर्किल नं०	नजदीक में कोई महत्वपूर्ण मकान या संस्था का नाम	आवेदक के मकान की कार्यालय से दूरी (कि०मी०)
1	2	3	4	5	6

13. निर्माणाधीन मकान के आवास योग्य होने की तिथि :-

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर वर्णित सभ सूचनाएँ मेरी जानकारी में सत्य है। यदि इनमें भिन्नता पायी जायेगी तो मैं आवास का हकदार नहीं रहूँगा/रहूँगी एवं उस परिस्थिति में मेरा आवेदन स्वतः रद्द समझा जाय। मैं आश्वासन देता/देती हूँ कि आवास आवंटन के पश्चात मैं सरकार विभागीय सभी नियमों एवं अन्य आदेश का पालन करूँगा/करूँगी। यदि मैं अपनी पत्नी/पति अथवा पुत्र/पुत्री के नाम से राँची में निजी मकान का निर्माण प्रारंभ करूँगा/करूँगी अथवा निजी मकान या उसका कोई हिस्सा पूरा करूँगा/करूँगी तो उसकी सूचना भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची को दूँगा/दूँगी।

आवेदक का पूरा नाम :-

पदनाम :-

तिथि :-

कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष/विभागीय सचिव का प्रमाण पत्र

कार्यालय/विभाग में प्राप्त सूचना के अनुसार एवं मेरे व्यक्तिगत सूचनानुसार आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दिये गये सभी विवरणी सही है। आवेदक की वेतन पर्ची की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है :-

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर :-

नाम :-

पदनाम :-

तिथि :-